# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

**टी सी 12 वी, विभूति खण्ड,**
**गोमती नगर लखनऊ**

संदर्भ संख्या F57642 सी–1/एन/एन0ओ0सी0–1011/2014 दिनांक 20-3-15

**आई0टी0/आई0टीज0 प्रोजेक्ट हेतु**

सेवा मे,

मै0 एस0पी0 सांई आई0टी0 प्रा0लि0,

ए–60 सी, प्रथम तल, सेक्टर–63,

नोएडा ।

विषयः पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नई इकाई की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक शून्य का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिये ही निर्गत्त किया जा रहा हैः–

(क) **स्थलः**– प्लाट नं0– 17, सेक्टर– टेकजोन–4, ग्रेटर नोएडा

(ख) **उत्पादनः**–प्रस्तावित 1,00,020.20 वर्गमीटर भूमि क्षेत्रफल, बिल्डअप एरिया 3,38,402.548 वर्गमीटर भूमि पर आई0टी0/आई0टीज प्रोजेक्ट का निर्माण।

ग) **मुख्य कच्चे मालः**–बिल्डिंग मैटेरियल।

(घ) **घरेलू उत्प्रवाह की मात्राः**– 589 के0एल0डी0

(ड.) **प्रयुक्त ईंधनः**– 1250 के0वी0ए0 के 02, 1000 के0वी0ए0 के 04, 1010 के0वी0ए0 के 14 एवं 750 के0वी0ए0 का 01 डी0जी0सेट हेतु।

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय मे प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।

........कृ0प0उ0/–

**मै0 एस0पी0 सांई आई0टी0 प्रा0लि0 द्वारा आई0टी0/आई0टीज0 प्रोजेक्ट**

**प्लाट नं0– 17, सेक्टर– टेकजोन–4, ग्रेटर नोएडा**

18– परियोजना द्वारा नेशनल बोर्ड आफ वाइल्ड लाइफ से वाइल्ड लाइफ क्लीयरेंस प्राप्त करें।

19– परियोजना हेतु सिंचाई विभाग से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करें कि परियोजना स्थल यमुना नदी फ्लड प्लान के अंतर्गत नहीं आता है।

20– निर्माण से पूर्व केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये।

21– परियोजना निर्माण में भूजल का प्रयोग अनुमन्य नहीं है।

22– पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ओखला बर्ड सेन्चुरी के निकट इको सेन्सटिव जोन के सम्बन्ध में जारी अधिसूचना में परियोजना स्थल इको सेन्सटिव जोन के अंतर्गत आने की स्थिति में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

23– संस्था को निर्गत बैंक गारण्टी पत्रांक–एफ–57141/सी–1/एन0ओ0सी0–1011/2015, दिनांक 11.3.15 का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें, अनुपालन न करने की दशा में संस्था द्वारा प्रेषित बैंक गारण्टी बोर्ड के पक्ष में अवमुक्त की जा सकती है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं संस्था के जिम्मेदार पदाधिकारियों की होगी।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाये। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 30.6.15 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाये। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाये अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जायेगी।

भवदीय

(जे0एस0 यादव)
**सदस्य सचिव**

पृष्ठांकन सं0. एन0ओ0सी0 तद दिनांक

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
वृत्त–1